शोभेन्द्र कुमार चौधरी, भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, लखीसराय।

बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
लखीसराय–811311
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष : 06346-232124 (कार्या०)
06346-232490 (आवास)
06346-232767 (फैक्स)
Email-dm-lakhisarai.bih@nic.in
Website: www.lakhisarai.nic.in

–::आदेश::–

कोरोना वायरस (COVID-19) से प्रभावित व्यक्ति एवं उसके परिवार की सुरक्षा तथा उसके परिवार का ईलाज कर रहे चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की सहायता करना एवं उनकी निजता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया के साधन का दुरूपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति जिसकी स्वास्थ्य संबंधी जाँच चल रही हो, का नाम वायरल कर उनकी निजता का हनन किया जा रहा है।

यदि किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी कोई संदिग्ध लक्षण परिलक्षित होता है तो इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत आवश्यकतानुसार उसकी जाँच की जाती है। तत्पश्चात् रिपोर्ट आने पर ही इसकी सत्यता की पुष्टि हो सकती है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि बिना पुष्टि किये ही WhatsApp और अन्य सोशल मीडिया साईट पर कथित व्यक्ति/संबंधित पत्र को वायरल करते हुए सरकारी आदेश या नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो IPC की धारा–188 एवं Epidemic Diseases Act, 1897 की धारा–3 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतएव उक्त के आलोक में निदेश है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी स्वास्थ्य संबंधी जाँच चल रही हो, के संबंध में सरकारी पदाधिकारी/कर्मी किसी भी प्रकार से कोई भी सूचना लीक नहीं करेंगे। साथ ही कोई भी व्यक्ति या मीडिया/मीडियाकर्मी WhatsApp अन्य सोशल मीडिया साईट/वेब पोर्टल न्यूज/न्यूज चैनल/समाचार पत्र में ऐसी किसी भी सूचना को वायरल नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में IPC की धारा–188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–
पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक 742/गो0, लखीसराय, दिनांक :– 15-04-2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपिः– सभी कोषांग के वरीय/नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, लखीसराय/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, स्वास्थ्य विभाग, लखीसराय/थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के सभी मीडिया/मीडियाकर्मी को आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आदेश की प्रति सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए जिला की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता कार्यालय
15 APR 2020